F.13-70792/2023

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सेक्टर नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा
जनपद–गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः–सम्पत्ति / किसान–आबादी / 2023 / 3243 दिनांकः– 14 / 09 / 2023

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 131वीं बैठक दिनांक 12.08.2023 के मद संख्या–21 के अन्तर्गत प्रस्तुत ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसान आबादी अनुभाग के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आवंटित 4 / 5 / 6 / 8 / 10 प्रतिशत आबादी भूखण्डों पर आरोपित भवन निर्माण विलम्ब शुल्क में छूट दिए जाने विषयक प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमोदन दिनांक 06.09.2023 के क्रम में किसान आबादी भूखण्डों पर आरोपित भवन निर्माण विलम्ब शुल्क की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश पत्रांक–सम्पत्ति / किसान–आबादी / 2023 / 1563, दिनांक 11.01.2023 को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती हैः–

1. किसान आबादी अनुभाग के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आवंटित 4 / 5 / 6 / 8 / 10 प्रतिशत आबादी भूखण्डों पर मूल आवंटी कृषकों एवं उनके नैसर्गिक उत्तराधिकारीगण के पक्ष में भूखण्ड का न्यागमन (Devolution) होने की दशा में भवन निर्माण विलम्ब शुल्क की देयता को समाप्त किया जाता है। पूर्व में जिन भूखण्डों के सापेक्ष विलम्ब शुल्क प्राधिकरण के पक्ष में जमा हो चुका है, उन पर यह निर्णय प्रभावी नहीं होगा अर्थात भूखण्ड के सापेक्ष पूर्व में भवन निर्माण विलम्ब शुल्क के मद में जमा कराई गई धनराशि न तो वापस की जायेगी और न ही समायोजित की जायेगी।
2. यदि मूल आवंटी (कृषक) अथवा उनके नैसर्गिक उत्तराधिकारीगण द्वारा आबादी भूखण्ड का विक्रय अथवा दान / वसीयत कर दी गयी है या की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में भूखण्ड के प्रथम विक्रय या आवंटी व उसके नैसर्गिक उत्तराधिकारीगण द्वारा परिवार से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में दान / वसीयत किये जाने के दिनांक से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या–सम्पत्ति / पोलिसीफाईल / 2016 / 90, दिनांक 18.02.2016 के क्रम में सामान्य आवसीय भूखण्ड हेतु भवन निर्माण विलम्ब शुल्क की निर्धारित नीति की भांति किसान आबादी भूखण्डों पर 02 वर्ष तक भवन निर्माण की समय–सीमा अनुमन्य होगी। इसके पश्चात किसान आबादी भूखण्डों पर भवन निर्माण विलम्ब शुल्क कार्यालय आदेश दिनांक 18.02.2016 के क्रम में निम्न प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा–

1	प्रथम वर्ष के लिए आवंटन दर का–	4%
2	द्वितीय वर्ष के लिए आवंटन दर का–	6%
3	तृतीय वर्ष के लिए आवंटन दर का–	8%
4	चतुर्थ वर्ष एवं इसके पश्चात के प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए तत्समय प्रचलित दर का क्रमशः 1% प्रतिमाह (अर्थात 12% प्रतिवर्ष) देय होगा, परन्तु प्रथम विक्रय / दान / वसीयत के 15 वर्ष के पश्चात किसी भी परिस्थिति में भवन निर्माण हेतु समय विस्तरण नहीं किया जायेगा।	

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(सतीश कुमार कुशवाहा)
विशेष कार्याधिकारी (किसान आबादी)

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. ✓ स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वी) महोदय के अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), ग्रेटर नोएडा।
4. प्रबन्धक (किसान आबादी / सिस्टम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. गार्ड फाइल।

विशेष कार्याधिकारी (किसान आबादी)